



(14)

## माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी

PBR) निगरानी / 2017 / उच्चान्वयन / २५-२५/२०१७ / 1938

बद्रीलाल पिता रामजीलाल पाटीदार,

धंधा-कृषि, निवासी— ग्राम कलालखेड़ी

तह. नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.)

————— प्रार्थी

विरुद्ध

श्रीमती शारदाबाई पति रामनारायण पाटीदार  
उज्जैन जिला विरुद्ध  
पा श्रुति  
२१-६-१७

1 श्रीमती शारदाबाई पति रामनारायण पाटीदार,  
निवासी— ग्राम जलोदिया जागीर तह. नागदा  
जिला उज्जैन (म.प्र.)

2 श्रीमती वरदीबाई पति गौरीशंकर पाटीदार,  
निवासी— ग्राम पाड़सुतिया तह. खाचरौद  
जिला उज्जैन (म.प्र.)

3 अनोखीलाल पिता रामजीलाल पाटीदार,  
धंधा— कृषि, निवासी— ग्राम कलालखेड़ी  
तह. व जिला उज्जैन (म.प्र.)

—— प्रतिप्रार्थीगण

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी  
महोदय नागदा जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक  
33/अपील/10-11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक  
02/05/2017 से असंतुष्ट होकर धारा 50 म.प्र.भू.  
रा.संहिता के अंतर्गत निगरानी :-

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित आधार पर निगरानी लाठर

25/5/2017

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी /उज्जैन /भू.रा./ 2017 / 1938

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पंक्तिकारी एवं अमिमाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-1-2018	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 2-5-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश में अवैधानिकता पाये जाने पर म.प्र. भू-राजस्व संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप स्वयं प्रकरण में साक्ष्य लेकर गुण-दोष पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर किया जाना है, जिसके विरुद्ध आवेदक को अपील में उपचार उपलब्ध होगा । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p></p> <p>(मनोज गोयल)</p> <p>अध्यक्ष</p>	